मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. सतवीर सिंह
2. राकेश कुमार
3. प्रमोद कुमार

पि० रामजीलाल जाति- जाट नि० महराना

बनाम रामजीलाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी महराना

दावा बाबत :– 88 R TAct

मुकदमा नम्बर :– 206/2021

निर्णय दिनांक :– 24/11/2021

वादी की ओर से वकील सुरेन्द्र बेनीवाल की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील विनोद शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 6 MRN के खाता संख्या 74/74 के मु० नं० 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75 व 76 के कुल किता 8 2 की कुल 18.6250 हैक्टेयर में प्रतिवादी रामजीलाल का 1/10 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार चक 8 MRN के खाता संख्या 72/73 के मु० नं० 30, 31, 36, 40, 56, 57, 58, 63 व 64 के कुल किता 10 5 की कुल 25.6320 हैक्टेयर में 104/15 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्तवाद भूमि में प्रतिवादी रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 सतवीर सिंह, वादी संख्या 2 राकेश कुमार व वादी संख्या 3 प्रमोद कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी रामजीलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा व हक वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए तर्क किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़